दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. सिरोही(राज.)

भारतीय रिजर्व बैक लाईसेंस संख्या ग्रा.आ.ऋ.वि.(जय).सह. 14 दिनांक 18.01.2012

बाईपास रोड सीसीबी बैक चौराहा, सिरोही

प्रबंध निदेशक 02972– 222349 बैंक कार्यालय 02972– 221343 E-mail-ccb.sirohi@gmail.com

कमांक–एससीसीबी/परिचालन/2023–24/13415–13516 दिनांक :–8.09.2023

शाखा प्रबंधक
दी सिरोही सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.
शाखाः– समस्त ।

विषयः– अमानतो की ब्याज दरों में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बैक द्वारा पूर्व में जारी बैक के पत्रांक एससीसीबी/परिचालन/2023–24/14370–14468 दिनांक 01.08.2023 से अमानतो पर ब्याज दर संशोधित कर दिनांक 05.01.2023 से नवीन ब्याज दरे निर्धारित की गई थी, बैक की वर्तमान में प्रचलित अमानतो की ब्याज दरो की समीक्षा श्रीमान् प्रशासक महोदय द्वारा दिनांक को की जाकर वर्तमान में प्रचलित ब्याज दरो में संशोधन कर नवीन ब्याज दरे निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसका विगत निम्न प्रकार से हैः–

(अ.) मियादी एवं निरन्तर जमा अमानतों की ब्याज दरो में दिनांक 12.09.2023 से संशोधन कर निम्न प्रकार से नवीन ब्याज दरे निर्धारित की गई हैः–

अ) मियादी जमा एवं निरंतर जमा अमानतों की नवीन ब्याज दरः–

क्र. सं.	समयावधि	नवीन संशोधित ब्याज दरे(प्रतिशत में) दिनांक 12.09.2023 से लागू (Less than Rs. 15 Lac)	नवीन संशोधित दरे (प्रतिशत में) दिनांक 12.09.2023 से लागू (Rs. 15 Lac and above and less than 1 crore)	नवीन संशोधित ब्याज दरे (प्रतिशत में) दिनांक 12.09.2023 से लागू (Rs. 1 crore and above)
1	2	3	4	5
1	7 दिन से 14 दिन तक	3.00	3.00	4.50
2	15 दिन से 29 दिन तक	3.00	3.00	4.50
3	30 दिन से 45 दिन तक	3.00	3.25	4.50
4	46 दिन से 90 दिन तक	4.00	4.00	4.50
5	91 दिन से 180 दिन तक	4.75	4.75	5.00
6	181 दिन से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम	5.30	5.30	5.50
7	1 वर्ष	6.90	6.90	6.60
8	1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम (444 दिन को छोडकर)	6.90	6.90	6.60
9	444 दिन	7.40	7.40	6.60
10	2 वर्ष एवं 2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम	6.90	6.90	6.60
11	3 वर्ष एवं 3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	6.30	6.30	6.30
12	5 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष तक	6.30	6.30	6.30

(ब) बचत बैक अमानत की ब्याज दरः–

बचत बैक अमानत पर ब्याज दर 2.75 प्रतिशत (यथावत्)

1. बचत बैक जमाओ पर ब्याज की गणना दैनिक आधार पर देय होगी।
2. जिलें की पैक्स/लेम्पस में संचालित मिनी बैंकों को मियादी अमानतों पर उपरोक्त निर्धारित ब्याज दरों से 0.25 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जा रहा है।
3. सेवानिवृत्त बैक स्टाफ जो कि वरिष्ठ नागरिक है,उन्हे अपनी मीयादी अमानतो एवं निरंतर जमा योजना पर वरिष्ठ नागरिको को मीयादी अमानतो पर निर्धारित ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर से इन्हे भी पूर्ववत् दिया जाना है एवं 1 प्रतिशत बैक स्टाफ को देय अतिरिक्त ब्याज दर भी सेवानिवृत्त बैक स्टाफ को पूर्ववत् दिया जाना है, यानि दोनो सुविधाए पूर्ववत रहेगी। इस संबंध में अन्य नियम एवं शर्ते बैक के पत्रांक एससीसीबी/परिचालन/2017–18/15471–491 दिनांक 20.09.2017 से निर्धारित की गई जो यथावत् लागू रहेगी।

4. वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष एवं अधिक है को मियादी अमानतो पर बैक द्वारा निर्धारित ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है, जो यथावत रहेगा, संयुक्त मियादी जमाओ में विभेदक उच्च ब्याज दरो के लाभ के लिए वरिष्ठ नागरिक का नाम पहले होना चाहिए । इस खाते में भुगतान निर्देश प्रथम अथवा उत्तरजीवी (Former or Survivor / F or S) अनिवार्य है।

5 .बैक स्टाफ के परिवार सदस्य अथवा सदस्यो के नाम से जमाओ पर , पात्र ब्याज दर से 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा, परन्तु बैक का ऐसा पूर्व बैक स्टाफ जो बैक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण बैक सेवा में नहीं है, उन्हे यह लाभ देय नहीं होगा। बैक स्टाफ/पूर्व बैक स्टाफ द्वारा बैक में मियादी अमानत जमा करवाते समय स्वयं की राशि होने का घोषणा पत्र बैक शाखा को देना अनिवार्य होगा ।

6.''परिवार'' शब्द का स्पष्टीकरणः— परिवार शब्द में बैक स्टाफ/सेवानिवृत्त बैक स्टाफ सदस्य की पत्नी/ पति तथा बच्चे, आश्रित माता—पिता, शामिल होगे/होगी जो ऐसे बैक स्टाफ /सेवानिवृत्त बैक स्टाफ पर निर्भर हो परन्तु इनमें कानूनन सम्बन्ध विच्छेद किए हुए पति—पत्नी शामिल नहीं है। आश्रित माता —पिता की स्थिति में बैक स्टाफ/सेवानिवृत बैक स्टाफ के नाम से संयुक्त खाता हो एवं प्रथम नाम बैक स्टाफ / सेवानिवृत बैक स्टाफ का होना अनिवार्य होगा।

7. अवधि पूर्व मियादी अमानतो का भुगतानः— मियादी जमाऐं जितने समय बैक में जमा रही है उस अवधि की ब्याज दर से 1.00 प्रतिशत कम अथवा अनुबन्धित दर से 1.00 प्रतिशत कम, दोनो में से जो भी ब्याज दर कम है देय होगी। यदि जमाएं 7 दिवस से कम अवधि तक बैंक के पास जमा रही है तो कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

8. समय से पूर्व सावधि जमा भुगतान की दशा में राशि पुनः सावधि जमा करवाने पर 1 प्रतिशत शास्ति नही ली जायेगी परंतु नई सावधि जमा की देय तिथि पुरानी सावधि जमा की देय तिथि से पहले नही होगी।

9. बैक स्टाफ/सेवानिवृत बैक स्टाफ/मृतक बैक स्टाफ के पत्नी अथवा पति की मियादी जमाओ के समय पूर्व भुगतान पर कोई शास्ति लागू नहीं होगी। समय पूर्व भुगतान पर जितने दिनों तक मियादी जमा बैक में रही हो उस अवधि की ब्याज दर देय होगी।

10. शाखाओ द्वारा एक करोड व एक करोड से अधिक की जमाए स्वीकार करने से पूर्व प्रबंधक परिचालन/वरिष्ठ प्रबंधक प्रधान कार्यालय बैंक से अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

11. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के जमा राशियों पर ब्याज दर के संबंध में जारी मास्टर निर्देश दिनांक 12 मई 2016 के दिशा— निर्देशो एवं दिनांक 02 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये संशोधन के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

12. सभी शाखा प्रबंधक अधीनस्थ बैक स्टाफ को अमानतो के ब्याज दरो की विषयवस्तु को ध्यान में लाकर निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाना है।

13. समिति व्यवस्थापकों के भविष्य निधि खाता प्रोडक्ट **PF To Society Manager(INST)** में अधिकतम ब्याज दर (6.90 प्रतिशत) देय होगी। जो समिति व्यवस्थापक सेवानिवृत हो चुके हैं और उनका भविष्य निधि अभी भी जमा है। उनके सेवानिवृत्ति तिथी से छः माह तक ही उक्त ब्याज दर देय होगी तदुपरांत उस पर बचत खाते की ब्याज दर देय होगी। जिसके लिए शाखा स्तर पर संधारित खातें का प्रोडक्ट शाखा प्रबंधक द्वारा बदला जायेगा।

14. मियादी अमानतों को परिपक्वता दिनांक के 14 दिवस के भीतर बैंक मे प्रस्तुत करने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा, 14 दिवस के उपरांत प्रस्तुत करने पर मियादी अमानतों पर बचत खाते की ब्याज दर देय होगा।

15. ग्राहकों को मियादी जमा रसीद के सापेक्ष में मियादी अमानत रसीद के अंकित मूल्य का अधिकतम 85 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकता है तथा बैंक स्टाफ/ सेवानिवृत्त स्टाफ की मियादी अमानतों के सापेक्ष में मियादी अमानत रसीद के अंकित मूल्य का अधिकतम शत प्रतिशत ऋण दिया जा सकता है।

16. मियादी जमा एवं निरंतर जमा के विरूद्ध लिये ऋण पर .मियादी जमा एवं निरंतर जमा की ब्याज की दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूल किया जायेगा एवं स्टाफ द्वारा मियादी जमा के विरूद्ध 1 प्रतिशत अधिक ब्याज नहीं लिया जायेगा ।

17. नई ब्याज दर की सूचना ग्राहकों के सूचनार्थ बैक शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाने के लिए शाखाओ को निर्देशित किया जाना है।

18. उपर्युक्त ब्याज दरे दिनांक 12.09.2023 से नई प्राप्त मियादी अमानतो एवं नवीनीकरण पर प्रभावी होगी।

प्रबंध निदेशक

कमांक—एससीसीबी/परिचालन/2023—24/13415—13516 दिनांक— .09.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय बैक प्रका सिरोही ।
2. श्रीमान् उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सिरोही ।
3. अधिशाषी अधिकारी /समिति अनुभाग प्रका बैक सिरोही ।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबंधक/नोडल अधिकारी (कृषि एवं अकृषि ऋण), प्रधान कार्यालय बैक सिरोही ।
5. प्रबंधक परिचालन प्रधान कार्यालय बैक,सिरोही को भेजकर निर्देशित किया जाता है। कि एक करोड व एक करोड से अधिक की मियादी अमानते शाखाओ द्वारा प्राप्त करने से पूर्व शाखाओ को स्वीकृति देने की आवश्यक कार्यवाही करेगे।
6. प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग, प्रधान कार्यालय बैक सिरोही को भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि सीबीएस सॉफ्टवेयर में अमानतो की ब्याज दरो में उपरोक्तानुसार संशोधन करवाने की कार्यवाही समय पर करेगे।
7. ऋण पर्यवेक्षक बैक शाखा— समस्त ।
8. व्यवस्थापक , पैक्स/लेम्प्स (मिनी बैक) —समस्त ।

प्रबंध निदेशक